Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान

श्रीमती मिनाक्षी भार्गव*

* पीएचडी स्कॉलर, स्कूल ऑफ सोशल साइंस (समाजशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत में भ्रष्टाचार की जड़े गहरी है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अनेक नेताओं ने बातें की लेकिन उसे मिटाने के लिए कोई सार्थक और सार्वजनीन उपाय नहीं खोजे जा रहे है। भ्रष्टाचार ये अनेक लोग लिप्त है। जिनमें नेताओं को लेकर अनेक पदाधिकारी संलग्न है। एक सरकारी दफ्तर में चपरासी से लेकर वरीष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार ने लगे रहते हैं। कई लोग जो इस कृत्य में पकड़ाये जाते है उन्हें दण्ड तो मिलता ही है। एक आयकर आयुक्त के निवास पर छापा मारते हुए सीबीआई अफसरों को लाखों रूपये अघोषित रूप से प्राप्त होते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ 14 करोड़ से भी रूपये खर्च किये जाते हैं। ऐसे हजारों लोग भ्रष्टाचार की भेंट में निरन्तर जारी रहता आया है।

भ्रष्टाचार की अवधारणा – सरल शब्दों में भ्रष्टाचार शुद्ध रूप से रिश्वत का कार्य कहा जाता है। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना कानून तोड़ना हैं। मौरिस सैफेल (1983) ने कहा है कि भ्रष्टाचार वह व्यवहार है जो मानदण्डों और सार्वजनिक भूमिका निर्वाह के कर्तव्यों को संचालित करने या निजी लाभ के लिए पद के उचित उपयोग से विचलन होता है। जे नाय (1967:410) का कहना है कि भ्रष्टाचार निजी लाभों के लिए सार्वजनिक पद का दुरूपयोग दर्शाता है। अत: भ्रष्टाचार को इस प्रकार समझाया गया है कि 'यह आर्थिक या प्रतिष्ठा संबंधी लाभों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक भूमिका के प्रति औपचारिक कर्तव्यों से विचलन है।' इस प्रकार समाज में अनेक रूपों में फैला है।

नातेदारी भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज नातेदारी व जातिगत निष्ठाएँ सार्वजनिक सेवकों के मस्तिष्क में पहले से रहती है। नातेदारी व जातियाँ ऐसे व्यवहार को, जो सार्वजनिक भूमिका के औरचारिक से विचलित होते हैं, जबकि भ्रष्ट लोग उसे पारिवारिक दायित्व मानते हैं।

भ्रष्टाचार का ऐतिहाविक परिप्रेक्ष्य – भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी तथ्य है। प्राचीन समय में मिस्र, बेबीलोनिया और हैव्यू समाजों में न्यायाधीश रिश्वत लेते थे रोम में सार्वजनिक पदों पर चुनाव के दौरान रिश्वत एक आम बात थी। फ्रांस में 15 वीं शताब्दी में इंग्लैंड को भ्रष्टाचार का गढ्ढा कहा जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी में भी ब्रिटेन में भ्रष्टाचार इतना अधिक था कि गिब्बन ने संवैधानिक स्वतंत्रता का सबसे अचूक लक्षण कहा है।

भारत में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य कोष के सरकारी कर्मचारियों द्वारा गबन किये जाने का सन्दर्भ दिया है। कर्मचारियों द्वारा अपनाये गये 50 प्रकार के गबन और अन्य भ्रष्ट तरीकों का वर्णन किया है। अशोक के शासन काल में भी भ्रष्टाचार के उल्लेख मिलते है।

मध्य युगीन समाज में भी भ्रष्टाचार कम नहीं था। कर वसूली में लगे अधिकारी जितनी ज्यादा वसूली कर धन संग्रह करते थे, उनकी प्रशंसा की जाती थी। ब्रिटिश शासनकाल में लिप्त थे। क्लाइव्ह और वारेन हेस्टिंगज तो इस कदर भ्रष्ट पाए गए कि उनके इंग्लैंड लौटने पर एक संसदीय समिति द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और द्वितीय महायुद्ध के दौरान देश में भ्रष्टाचार के नए उत्पादनों को जन्म दिया।

युद्ध के दौरान लगाये गये प्रतिबंधों, नियंत्रणों और अभावों ने रिश्वत, भ्रष्टाचार और पक्षपात के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। इसी प्रकार, 1962, 1967 में चुनावों के दौरान राजनैतिक व्यक्तियों ने रिश्वत लेकर अपनी जनता का विश्वास खो दिया था।

स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1949 में विध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता व तत्कालीन उद्योग मंत्री राव शिब बहादुर सिंह 25 हजार रूपये रिश्वत लेने के लिए जेल में गये। 1962 में कृष्णा मेनन पर 2000 जीपों की खरीदी के मामले में रिश्वत खाने का आरोप था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी 20 करोड़ रूपयों आइत कंपनी के साथ विवादास्पद सौदे में 60 लाख रूपयों का नागर बाला मामला, मारुती उद्योग घोटाला, पनडुब्बी घोटाला आदि मामले प्रसिद्ध हुए। सन् 1980–90 के दशक में अनेक केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के राजनीतिज्ञों ने भी सत्ता के लालच में अनेक रिश्वत लेने के गंभीर अपराध उजागर हुए थे। मल्होत्रा: 1924/254–256 लोक सेवकों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के व्यवहार का उल्लेख किया गया है–

1. अधिकारिक हैसियत से किये गये कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप भेंट स्वीकार करना।
2. अवैध रूप से कोई भी वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना।
3. सार्वजनिक सम्पत्ति का धोखाधड़ी से दुरूपयोग करना।
4. आय के ज्ञात संसाधनों से अधिक अनुपात में सम्पत्ति या आर्थिक संसाधनजुटाना।
5. अधिकारिक पद का दुरूपयोग करना।
6. सरकारी व्यवहार से संबंधित किसी व्यक्ति से कीमती वस्तु खरीदने के लिए धन उधार लेना यह मानते हुए कि उधार लिया धन वापस नहीं किया जाना है।
7. उच्च स्थिति या पद पर होने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे लोगों से भेंट या उपहार स्वीकार करना जिनके साथ उनके पद के नाते संबंध हों।
8. जानबूझकर नियमों की अनदेखी करते हुए देवकों या करो या आदि आर्थिक मामलों के भुगतान करने से बचने में नागरिकों की मदद करना।

9. किसी बहाने से किसी कर्तच्य को करने से इन्कार करना जिससे दूसरों का फाइदा होता हो जैसे अपराधी की मदद करने की नीयत से पुलिस अधिकारी को किसी मामले में पंजीकृत न करना आदि।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष पेट्रोलियम ऊर्जा पर 30,000 से 40,000 करोड़, रूपये खर्च किये जाते है। प्राकृतिक गैस के आयात पर 40,00 करोड़ तथा 1998-99 में 24,000 करोड 1999-2000 में 54,000 करोड, 2000-2001 में 64,000 करोड़ रूपये खर्च किये जाते है। जिसमें मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारी दलाली के रूप में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार करते हैं। सबसे अधिक भ्रष्ट व्यवहार पुलिस विभाग करता है। एक कान्स्टेबल से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी तक रिश्वत लेता है। भ्रष्टाचार केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं हैं अपितु निम्न पदों पर कार्यरत अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए सहायक एवं कनिष्ट अभियंता, टेलिफोन, राज्य विद्युत परिषद के सदस्य, जल प्रदाय विभाग के अधिकारी, मध्यम और निम्नश्रेणी के अनेक मंत्रालय भ्रष्टाचार में संलग्म पाये जाते हैं। भेंट और उपहार भ्रष्टाचार का प्रमुख स्वरूप हैं। एक ठेकेदार किसी अभियंता को वा लेखा अधिकारी को बिल पास कराने के लिए तरह-तरह के उपहार, मिठाइयाँ और कीमती वस्तुएँ रिश्वत के रूप में भेंट चढ़ाई जाती है। रिश्वत और दलाली की दर प्रतिवर्ष चढ़ती जाती है।

भ्रष्टाचार के करण

1. **स्वहित वाले राजनैतिक वर्ग का अभ्युदय –** आजादी के बाद प्रथम दो दशकों में राजनैतिक अभिजात इस हद ईमानदारी, समर्पित और राष्ट्र बादी थे कि वे हमेशा देश की प्रगति के लिए कार्य करते थे। लेकिन चौथे आम चुनावों के बाद धीरे-धीरे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती गई। ऐसेअभिजात वर्ग के लोगों ने नौकरशाही को भी अपने पदचिह्नों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस प्रकार राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों ने अपने पद और शक्ति दुरूपयोग अवैध लाभों के लिए प्रारंभ किया।

2. **सरकार की आर्थिक नीतियाँ –** काल में ही अधिकतर घोटाले उन क्षेत्रों में हुए है जहां क्रय नीति या मूल्य सरकार के नियंत्रण में हैं। चीनी, उर्वरक, तेल, सैन्य, अस्त्र शस्व खरीदी, विद्युत उपकरण जैसे कुछ उल्लेखनीय क्षेत्र है जहां खुलकर भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है।

3. **आवश्यक वस्तुओं की कमी–** जब आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में कमी होती है, सत्ताधारी लोग उन बस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ अपेक्षा करते हैं जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि की जाती है। तब जब माँग चहुत अधिक ज्यादा होती है लेकिन रोजाना की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम हो जाती है जैसे चीनी, सीमेंट, तेल आदि।

4. **व्यवस्था में परिवर्तन–** समाज में मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन के साथ, पुराने आदर्श भी निरर्थक हो जाते है। और भेंट स्वीकार करना मूर्खता की अपेक्षा आवश्यक्ता के रूप में माना जाता है।

5. **अप्रभावी प्रशासनिक संगठन –** कभी-कभी भ्रष्टाचार प्रशासनिक कमी से भी पनप सकता है। प्रशासनिक कर्मचारियों को अत्यधिक शक्ति देना, गैर जिम्मेदारी, त्रुटिपूर्ण सूचना व्यवस्था आदि अधिकारियों को न केवल भ्रष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि भ्रष्ट तरीके अपनाने के बाद भी वे अप्रभावित रहते हैं।

आर्थिक कारणों में उच्च जीवन शैली के प्रति अति मोह ग्रस्तता, मुद्रा प्रसार, लाइसेन्स प्रणाली तथा ज्यादा लाभ लेने की प्रवृत्ति आदि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कारक माने जाते हैं। इन्हीं कारकों में अधिकारी के हाथ में शक्ति का केन्द्रित होना पुलिस और न्यायपालिका में निहित कर्मचारी चरित्रवान नहीं होतें, इसके अत्तबा आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन आदि भ्रष्टाचार के प्रभावी कारक माने जाते हैं।

जो लोग श्रेणीक्रम का लाभ उठाते है और शक्तिशाली होते हैं वे जवाबदेही से कतराते हैं और भ्रष्ट ओनस्थ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में ढीलापन दिखाते हैं। अंतिम कारक जनता की चीख-पुकार में कमी तथा जनमंच की कमी है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा सके। अक्सर यह पाया गया है जो भ्रष्ट व्यक्ति के विरुद्ध निष्क्रिय और गूंगे बन जाते है, वे समाज विरोधी व्यवहार को सहन करते हैं और शक्तिशाली जन-प्रचार करने में असफल रहते हैं।

भ्रष्टाचार का प्रभाव – ऐसे भ्रष्टाचारी लोक नैनिक जीवन में छाये रहते हैं और हमारे नैतिक ताने-बाने को कमजोर बनाते हैं। भ्रष्टाचार तभी घटित होता है तब कीमत चुकाई जाती है लेकिन उसके लिए कोई सेवा नहीं पाई गये।

परीक्षा में नकल करवाना, उपरपुस्तिका में परीक्षक द्वारा अंक बढाये जाना, किसी मित्र की सिफारिश पर सहयोगी के कहने पर आदि मामलों में भ्रष्टाचार होता है। भारत में वैध और अधिकारीक चीजों को प्राप्त करने के लिए पैसा देना पड़ता है। आम आदमी के दैनिक जीवन को यह सब बातें प्रभावित करती हैं।

भ्रष्टाचार प्रतिबंधित कानूनी प्रावधान – भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सितम्बर 1988 में लागू हुआ। इसमें 1947 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान समाहित थे। जिनमें आ.पी.सी. की कुछ धाराएँ अपराधी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भी समाहित है।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम भ्रष्टाचार संबंधी समस्याओं को जूझने के लिए पर्याप्त नहीं है।

1988 अधिनियम में लोकसेवक शब्द को व्यापक कर दिया गया और इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को शामिल किया गया। केन्द्रीय कर्मचारियों और केन्द्र प्रशासनिक राज्यों के कर्मचारियों के अलावा, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्रीय व राज्यों से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी, कर्मचारी, उप कुलपति, केन्द्रीय व राज्यों सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में वैज्ञानिक और प्रोफेसर तथा स्थानीय प्रशासन से संबंधित संस्थाओं के कर्मचारी, सभी को लोकसेवक घोषित किया गया है।

प्रस्तुत अधिनियम संपूर्ण भारत के नागरिकों पर लागू किया गया है।

भ्रष्टाचार रोकने के अन्य उपाय – भ्रष्ट मंत्रियों तथा शीर्षस्थ अधिकारियों को दण्डित करने में सी.बी.आई. को लंबी अवधि के आधार पर न्यायालय को सीधे रिपोर्ट नहीं कर सकती, लोकपाल और लोकायुक्तों को मंत्रियों तथा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञों को भी दंडित करना होगा। समाज केवल पुलिस की निगरानी पर निर्भर नहीं रह सकता।

सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करने की स्वतंत्रा देना, कार्यकुशल अधिकारियों को प्रोन्नति करना, जाँच पड़ताल में अधिकारियों को सुरक्षा देने का आश्वासन देना आदि उपाय भी अपनाने पर बल देना चाहिए।

अन्त में कहा जा सकता है कि आजकल भ्रष्टाचार लोगों को कोई

आघात नहीं पहुंचाता। जब इस प्रकार के कृत्य पकड़े भी जाते है, तब भी मंत्री और बड़े अधिकारी तो आजाद घूमते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। जब तक प्रतिबंध नहीं लगाते तब तक इनकों समाप्त करना या कर करने की संभावना प्रतीत नहीं होती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चौधरी पी.सी. भ्रष्टाचार, सेमीनार 421 सित. 1994
2. कोहली सुरेश-भारत में भ्रष्टाचार, 1975
3. मल्होत्रा के. एल-सतर्कता आयोग के तथ्य, मल्होत्रा पब्लि. दिल्ली 1988 और 1992
4. माथुर के. एम. प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पोलिस सेमीनार, माउंट आबू में आयोजित, 12 अक्टू. 1992
5. नाथ जे-राजनैतिक भ्रष्टाचार, अमेरिकन पॉलिटिकल रिव्हू, 1967

****